

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

-: अधिसूचना :-

राँची, दिनांक :- 07/11/22

अधि.सं.-01/स्था.(प्रो.)-10-04/2020-5634/श्री राजेश सोलोमन तिग्गा (ID-3857), (वरीयता क्रमांक-229/2020) मुख्य अभियंता (वेतनमान् मैट्रिक्स लेबल-13ए) सम्प्रति प्रभारी अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग, राँची को अभियंता प्रमुख (वेतनमान् मैट्रिक्स लेबल-14) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के आलोक में पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(हरेन्द्र किशोर राम)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :- 5634

राँची, दिनांक :- 07/11/22

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं कार्यालय अभिलेख हेतु प्रेषित।

(हरेन्द्र किशोर राम)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :- 5634

राँची, दिनांक :- 07/11/22

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के प्रधान आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ प्रबंध निदेशक, झालको, राँची/निदेशक, भु-गर्भ जल निदेशालय, राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/ संबंधित अभियंता/वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-08), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हरेन्द्र किशोर राम)
सरकार के अवर सचिव